पत्रांक सं0–14/डी0एल0ए0 गोपालगंज (पथ)–123/2012–3016/रा0, पटना–15, दिनांक–21/12/2012

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू–अर्जन प्रशाखा)

अधिसूचना

संख्या– आर0 दिनांक–

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–राजापट्टी थाना नम्बर–303 थाना–गोपालगंज, परगना–मड़हल, जिला–गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् महम्मदपुर–छपरा पथ के चौड़ीकरण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–राजापट्टी थाना नम्बर–303 के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमो–बेश 03.5975 एकड़ के बराबर होता है

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :–

खेसरा नं0–154 अंश, 152 अंश, 153 अंश, 111 अंश, 112 अंश, 113 अंश, 114 अंश, 110 अंश, 109 अंश, 33 अंश, 32 अंश, 34 अंश, 31/166 अंश, 19 अंश, 18 अंश, 14 अंश, 15 अंश, 16 अंश, 17 अंश, 35/168 अंश, 35 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 151 अंश, 164 अंश, 165 अंश,।

जिसकी चौहदी निम्नांकित है :–

उत्तर :– खेसरा सं0–12 अंश, 14 अंश, 15 अंश, 16 अंश, 17 अंश, 168 अंश, 35 अंश, 104 अंश, 105 अंश, 109 अंश, 114 अंश, 112 अंश, 111 अंश, 152 अंश, 151 अंश, 164 अंश, 165 अंश,।

दक्षिण :– खेसरा सं0–18 अंश, 19 अंश, 31/166 अंश, 34 अंश, 32 अंश, 33 अंश, 110 अंश, 111 अंश, 153 अंश, 154 अंश, 152 अंश,।

पूरब :– सिवाना बसहाँ थाना नं0–301

पश्चिमः– मौजा लखनपुर थाना नं0–24 एवं सिवाना जिला सारण।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम–1894 यथा संशोधित–1984 की धारा–4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 के द्वारा संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध है। अर्जित की जाने वाली भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता, गोपालगंज, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उप महाप्रबंधक (तकनिकी), बिहार स्टेट रोड डेभलपमेन्ट कार्पोरेशन, हाजीपुर के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा–2 में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है।

चूँकि यह भू–अर्जन योजना तुरन्त आवश्यक है।

अतः बिहार भू–अर्जन अधिनियम–1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 17(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिनियम की धारा 5–ए इस मामले में लागू नहीं होगी।

समाहर्त्ता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के अवर सचिव

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक सं0–14/डी0एल0ए0 गोपालगंज (पथ)–123/2012–3016/रा0, पटना–15, दिनांक–21/12/2012

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतिया को दो दैनिक समाचार पत्रों से जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट समाहरणालय शाखा, गोपालगंज को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की अतिरिक्त 10–10 प्रतियों इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीध्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा एवं समाहर्त्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।